हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थना पत्र O 39 R 1 व 2 CPC एवं 212 RTA 31-01-2025 आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार होने उपरान्त पेश हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी। अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 उपस्थित हैं। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र (T.I.) बाबत बहस सुनी गई। वकील वादी/प्रार्थीगण का कथन रहा कि विवादित आराजी प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण की शामलाती आराजी गैर मुमकिन कुआं की आराजी है। सामलात में ही राजस्व लगान जमा करा रहे हैं। सामलात में अपने-अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थी सं. 01 ता 03 प्रार्थीगण के सामलाती आराजी के उपभोग उपयोग में बाधा डालते हैं। प्रार्थीगण को अपने हिस्से से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। आराजी पर जबरन निर्माण कार्य करने व आराजी का बिना विधिक बंटवारा कराये दीगर जगह रहन बय हिब्बा इत्यादि से मुंतकिल करने की धमकी दे रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को दीगर जगह रहन नौय हिब्बा इत्यादि से मुंतकिल नहीं करने तथा प्रार्थीगण के भरत कार्य में बाधा नां पहुंचाने एवं उक्त आराजी विवादित खसरा नम्बरान खत 325/0-05 है०, 326/0-16 है० 511/0-09 है० कुल किता 03 कुल रकबा 0.30 है० वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर में कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करने बाबत ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जावे एवं अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला मूल वाद संपुष्ट कर दी जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 का कथन रहा कि अप्रार्थीगण का मकान विवादित आराजी से लगते हुये भूमि में लगभग 40 वर्ष पूर्व से बना हुआ है। जिसका उपयोग उपभोग निर्विवादित रूप से अप्रार्थीगण करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीपत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया पत्रावली sd/- उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

का आद्योपांत अध्ययन किया।
वकील प्रार्थी ने प्रार्थीगण के विवादित आराजी पर पुराने कब्जे के तथ्य का खण्डन नहीं किया है एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त नहीं करने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना को भी प्रमाणित नहीं किया है। मुताबिक राजस्व रिकोर्ड विवादित आराजी के 227 सह खातेदार हैं। जिसमें से अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 का बहुत ही कम हिस्सा बनता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से आराजी में मदाखलत करने का तथ्य तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरन्तर जारी रखना यह न्यायालय उचित एवं न्यायसंगत नहीं समझता है।

अतः इस न्यायालय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जां इस
	जारी अंतरिम व्यवस्था निषेधाज्ञा दिनांक 10-12-2024 को निरस्त की जाती है। प्रार्थना पत्र 039 R1 व 2 व धारा 212 RTA खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील संलग्न मूल बद्द रहे। आदेश आज दिनांक 31-01-25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

Scanned with OKEN Scanner